भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(11)

न्यायाधीश मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) Rs 20/-

निगरानी 162-III-15

07/8.1.15

बसंत कुमार सिंह तनय शिवप्रसाद सिंह निवासी ग्राम परसौना, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 **---आवेदक/निगरानीकर्ता**

बनाम्

1. श्रीमती भूपति सिंह पत्नी मिथिलेश प्रताप सिंह निवासी प्रतापपुर, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0
2. स्टेट आफ म0प्र0 **----अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण**

राजेन्द्र तिवारी एड द्वारा आज दिनांक 08-01-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 988/अपील/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 18.12.14

क्रमांक 4233 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज .../.../15 को प्राप्त

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

--- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

(11)

निगरानी 162–तीन / 2015 जिला सिंगरौली

बसंत कुमार सिंह विरूद्ध श्रीमती भूपति सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-8-2018	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रृवण किये गये। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 19/अ–5/11–12 में पारित ओदश दिनांक 03–12–2012 के विरूद्ध अपील कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष पेशी। कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश दिनांक 11–5–03 को आदेश पारित कर नक्शा संशेधन का प्रस्ताव अमान्य किया। जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील पेश की गई। अपर आुयक्त ने आदेश दिनांक 18–12–14 के द्वारा अपील स्वीकार की तथा प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली को इस निर्देश केसाथ प्रत्यावर्तित किया कि नियमानुसार नक्शा सुधार की कार्यवाही करें। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में नये बंदोबस्त सर्वेक्षण में नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्व निरीक्षक तथा अधीक्षक भू–अभिलेख के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ने पूर्ण परीक्षण कर दिनांक 03–12–2012 को नक्शा सुधार हेतु प्रस्ताव	

कलेक्टर को भेजा। परन्तु कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर तैयार किये गये प्रस्ताव पर बिना विचार किये जांच को अपूर्ण मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। यदि जांच अपूर्ण थी तब कलेक्टर को विधिवत जांच कराकर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने एवं समस्त अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर नियमानुसार नक्शा सुधार की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित वैधानिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है जो स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 18—12—14 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

7/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य